पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

प्रावीण्य आधारित शुल्क वापसी नियम, 2015

1. उद्देश्य –

यह नियम विश्वविद्यालय के इस संकल्प को पूरा करता है कि विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्हे छ.ग शासन अथवा किसी अन्य स्त्रोतों से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नही मिल रही है, को चिन्हित कर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाय।

2. पात्रता –

छात्र की पात्रता से अभिप्राय पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त उस छात्र/छात्रा से है जिसने नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया है तथा उन्हें किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं है।

3. शुल्क प्रतिपूर्ति –

शुल्क प्रतिपूर्ति से अभिप्राय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिये छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई शुल्क की प्रतिपूर्ति से है। प्रावधान अनुसार छात्र/छात्रा को जमा की गई शुल्क की 80% राशि की वापसी की जाएगी।

4. स्नातक कक्षा –

स्नातक कक्षा से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्न गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

(4.1) बी.ए. प्रथम, बी.ए. द्वितीय तथा बी.ए. अंतिम वर्ष।

(4.2) बी.एस.सी. प्रथम, बी.एस.सी द्वितीय वर्ष तथा बी.एस.सी. अंतिम वर्ष। I | II | III

(4.3) बी.कॉम प्रथम, बी.कॉम द्वितीय वर्ष तथा बी.कॉम अंतिम वर्ष।

5. स्नातकोत्तर कक्षा –

स्नातकोत्तर कक्षा से अभिप्राय है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्न गैर व्यवसायिक कक्षा/ पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

Scanned with OKEN Scanner

(i) एम.ए.पूर्व एवं एम.ए. अंतिम

(ii) एम.एस.सी. पूर्व एवं एम.एस.सी अंतिम

(iii) एम.एस. डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) प्रथम एवं अंतिम वर्ष।

6. **प्रावीण्य (मेरिट) –**

प्रावीण्य से अभिप्राय बिना गेप के प्रथम प्रयास में प्राप्तांक या ग्रेड के आधार पर निम्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक/ **CGPA/GPA** के आधार पर तैयार मेरिट –

(i) बी.ए./बी.एस.सी/बी.काम प्रथम वर्ष के छात्र के लिए छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी (10+2) की परीक्षा में प्राप्त अंक/ **CGPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(ii) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए इस विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक / **CGPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(iii) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए इस विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक/**CGPA/GPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(iv) एम.ए.पूर्व विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंक/ **CGPA/GPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(v) एम.ए. अंतिम इस विश्वविद्यालय की संबंधित विषय पूर्वाध की परीक्षा में प्राप्त अंक/**CGPA/GPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(vi) एम.एस.सी. पूर्व –इस विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंक **CGPA/GPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

(vii) एम.एस.सी. अंतिम – इस विश्वविद्यालय की पूर्वाध की परीक्षा में प्राप्त अंक अंक **CGPA/GPA** अंक (विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना के अनुसार)।

Scanned with OKEN Scanner

7. चयन प्रक्रिया :—

निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति कक्षावार/विषयावार छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंतिम सप्ताह तक शुल्क वापसी की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु चयन समिति का गठन निम्न अनुसार होगा।

(i) कुलपति जी द्वारा नामित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर एक सदस्य – **अध्यक्ष**

(ii) कुलपति जी द्वारा नामित असिस्टेंट प्रोफेसर एक – **सदस्य**

(iii) अकादमिक विभाग प्रमुख – प्रस्तुतकर्ता एवं पदेन सचिव

किसी तरह के विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा, तथा इसे किसी भी न्यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता।

———— 000——————

(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 44 वीं बैठक दिनांक 08/10/2015 के प्रस्ताव क्रमांक 07 में अनुमोदित तथा कार्यपरिषद् की 53 वीं बैठक दिनांक 05/09/2016 में संशोधित)

Scanned with OKEN Scanner